कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन)
जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.)

// आदेश //

क्रमांक / 363/ सहा.अधी. / स्था.निर्वा. / 2025 सारंगढ़ दिनांक– 23/ 02 / 2025

कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर, (त्रिस्तरीय पंचायत) बिलाईगढ़ का पत्र क्र. / 123–3 / त्रि.आ.पं.निर्वा. / स्था. / 2025 बिलाईगढ़ दिनांक 19.02.2025 के अनुसार श्री तरूण सिंह बहेलिया, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कार्यालय अनुविभागीय कृषि अधिकारी सारंगढ़ को विकासखण्ड– बिलाईगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन हेतु दल क्रमांक 177 में पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया था। मतदान दलों को मतदान हेतु आवश्यक सामग्री का वितरण किये जाने के दौरान अपने कर्तब्य पर अनुपस्थित रहा। उक्त कृत्य अपने कर्तब्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है।

अतः श्री तरूण सिंह बहेलिया, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, के द्वारा कर्तब्य पालन के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री तरूण सिंह बहेलिया, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, का मुख्यालय कार्यालय उप संचालक कृषि विभाग, जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़ निर्धारित किया जाता है तथा उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–सारंगढ–बिलाईगढ़, (छ.ग.)

पृ. क्रमांक / 363A/ सहा.अधी. / स्था.निर्वा. / 2025 सारंगढ़ दिनांक– 23/ 02 / 2025

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ संप्रेषित।
2. उप संचालक, कृषि विभाग जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़ को सूचनार्थ।
3. तहसीलदार सह रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) बिलाईगढ़ को सूचनार्थ अग्रेषित। आप निलंबित कर्मचारी का आरोप पत्र, आरोप विवरण, दस्तावेजों की सूची एवं गवाहों की सूची 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें।
4. अनुविभागीय कृषि अधिकारी सारंगढ़, जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़ को सूचनार्थ।
5. संबंधित श्री तरूण सिंह बहेलिया, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़ को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला–सारंगढ–बिलाईगढ़, (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner